5/2015/क0नि0-4-76/11-2015-300(3)2015

प्रेषक,

गीता मिश्रा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कर एवं निबंधन अनुभाग-4 लखनऊ::दिनांक 20 फरवरी, 2015

विषय:- विराम खण्ड-5, गोमती नगर, लखनऊ सिथत 14 अधिकारी आवासों के अनुरक्षण कार्य कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-स0नि0-951विराम खण्ड-21 अधिकारी आवास (HIG)/2014-15/780/वाणिज्य कर, दिनांक 12.01.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-क0 नि0-4- 465/11-2014-300(32)/2013, दिनांक 07-04-2014 एवं शासनादेश संख्या-क0 नि0-4-860/11-2014-300(32)/2013, दिनांक 23-07-2014 द्वारा आयुक्त, वाणिज्य कर के निवर्तन पर बजट से अवमुक्त की गयी धनराशि में से विराम खण्ड-5, गोमती नगर, लखनऊ सिथत 14 अधिकारी आवासों में अनुरक्षण कार्य कराये जाने हेतु कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, गोमती नगर, लखनऊ द्वारा प्रस्तुत आगणन के सापेक्ष रू0 23,76,900-00 (रूपये तेईस लाख छिहत्तर हजार नौ सौ मात्र) धनराशि की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुये श्री राज्यपाल इतनी ही धनराशि व्यय करने की सहर्ष अनुमति निम्न शर्तो के साथ प्रदान करते है:-

(1) स्वीकृत धनराशि आहरित कर पी0एल0ए0डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में किया जायेगा।
(2) वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी मितव्ययिता संबंधी आदेशों का अनुपालन सुनिशिचत किया जाए।
(3) मात्राओं को निर्माण के समय सुनिशिचत किये जाने का दायित्व कार्यदायी संस्था आयुक्त, वाणिज्य कर का होगा।

(4) कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व यह अवश्य सुनिशिचत कर लिया जाय कि प्रस्तावित कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना से नहीं कराया गया है, न ही किसी अन्य योजना में प्रस्तावित है।

(5) कार्य प्रारम्भ कराये जाने के पूर्व कार्यदायी संस्था द्वारा डी0 पी0 आर0 तैयार करते हुए लोक निर्माण विभाग की लागू दरों पर ही कार्य सम्पन्न कराया जाना सुनिशिचत किया जायेगा एवं इसमेंं किसी विशिषिटयों का समावेश नहीं किया गया है, को भी सुनिशिचत किया जायेगा।

(6) अनुरक्षण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जायेगा।

(7) उपरोक्त स्वीकृत का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के लेखा शीर्षक- 2216-आवास-01-सरकारी रिहायशी भवन आयोजनेत्तर-700 अन्य आवास-03 वाणिज्य कर विभाग के आवासीय भवनों की विशेष मरम्मत व रखरखाव कार्य-29 अनुरक्षण मद के नामे डाला जायेगा। उक्त व्यय आय-व्ययक में प्राविधानित बजट की सीमान्तर्गत ही होगा।

भवदीया,
गीता मिश्रा,
विशेष सचिव।

संख्या-5/2015/क0नि0-4- 76(1)11-2015 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथमद्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा एवं परीक्षा) प्रथमद्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9
5- इकाई प्रभारी लिस्टेड मशीनरी इकाई, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, अशोक मार्ग, लखनऊ।
6- गार्ड फाइल/समीक्षा अधिकारी (बजट)।

आज्ञा से,
धीरेन्द्र कुमार वर्मा,
अनु सचिव।